



टी बोर्ड भारत

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार)

14, बी.टी.एम सरणी (ब्रेबोर्न रोड), कोलकाता- 700 001

वेबसाइट: www.teaboard.gov.org

फोन नं. 033-22351331

ई-मेल: teaboardfin@gmail.com

फैक्स सं 033-2221-5724

संदर्भसं. फिन/पे/आईटी/2022-23

21st मार्च, 2023

परिपत्र

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 192 के प्रावधान के अनुसार, वेतन शीर्ष के तहत देय किसी भी आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, भुगतान के समय देय राशि पर आयकर की औसत दर पर आयकर घटाया जाता है, जिसकी गणना अनुमेय कटौतियों की अनुमति देने के बाद "वेतन" शीर्ष के तहत निर्धारितियों के लिए अनुमानित आय पर उस वित्तीय वर्ष के लिए लागू दरों के आधार पर की जाती है।

इस पहलू में बजट 2023 की घोषणा के आधार पर वित्त अधिनियम, 2023 के अधिनियमन तक वित्त वर्ष 2024-25 से संबंधित वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मार्च, 2023 की अनंतिम रूप से गणना की जाएगी।

12बीबी घोषणा जमा करने के साथ ही पुराने या नए रेजिम के अनुसार आयकर की कटौती के विकल्प का प्रयोग करने के लिए आगे परिपत्र जारी किया जाएगा।

(सीमा तिवारी)

लेखा अधिकारी (वेतन)